प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता : राज्यपाल बागड़े

कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित, 264 को उपाधियां प्रदान की

जोधपुर, (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें लागू किए जाने चाहिए। इसके साथ ही प्रसार शिक्षा के अंर्तगत भी प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए खेत-खेत में प्रचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यह उद्गार शनिवार को जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में कुल 264 उपाधियां प्रदान की। इनमें 211 कृषि स्नातक, 25 डेयरी प्रौद्योगिकी स्नातक, 23 स्नातकोत्तर व 5 विद्यावाचस्पति की उपाधि प्रदान की। इस दौरान 7 विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक व 3 दानदाता स्वर्ण पदक भी दिए गए।

राज्यपाल ने उन्होंने वर्ष 2024 की परीक्षाओं के लिए कुल 10 स्वर्ण (7 स्वर्ण पदक विश्वविद्यालय द्वारा तथा 3 दानादाताओं द्वारा) पदक प्रदान किए। इनमें सुश्री स्नेहा पी.जी. को बीएससी (स्नातक कृषि) में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं आर.पी. जांगिड़ स्वर्ण पदक, मंटी कुमारी को डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जोधपुर को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय रूकमणी देवी कलवानियां स्वर्ण पदक, किरण चौधरी को स्नातकोत्तर शस्य विज्ञान में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक एवं डॉ आर.पी. जांगिड़ स्वर्ण पदक, ट्विंकल हाड़ा को स्नातकोत्तर सब्जी विज्ञान में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, पुरुषोत्तम सुथार को स्नातकोत्तर, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, मनिला पूनिया को स्नातकोत्तर, कीट विज्ञान में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक और मयंक राजपूत को स्नातकोत्तर रोग विज्ञान में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान किया।

- पूर्व कुलपति डॉ. जे.एस. संधु को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने डॉ जे.एस. संधु, पूर्व कुलपति कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया।

दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि प्राकृतिक विषमताओं और जलवायु परिवर्तन के दौर में विभिन्न संकटों पर नियंत्रण के लिए देश भर में इस समय 'प्राकृतिक खेती' के लिए अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती और वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचने का प्रभावी उपाय है। इसके लिए कृषि में सहनशील किस्मों और नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाए। इन किस्मों के गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इससे न केवल क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे अपितु राज्य में कृषि के विकास को भी नवीन गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि कम पानी में अच्छी फसल हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। खेती को पानी की बहुत जरूरत रहती है। बारिश का पानी खेत में ही रहे, इसके लिए भी कृषि शिक्षा के अंतर्गत आप लोग प्रयास करें। पानी की बचत ही पानी का निर्माण करना है।

राज्यपाल ने कृषि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार की दिशा में मौलिक दृष्टि रखते हुए कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने मोटे अनाज के महत्व को देखते हुए श्री अन्न के अधिकाधिक उपयोग एवं इसके महत्व के प्रचार-प्रसार की जरूरत बताई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और निर्यात के नए अवसर प्रदान करने के लिए "एक के.वी.के., एक उत्पाद" की पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। समारोह को संबोधित करते हुए दीक्षांत अतिथि नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के पूर्व कुलपति, डॉ. जे.एस. संधू ने सभी प्रतिभाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कृषि क्षेत्र में समर्पित सेवाओं से समाज के उत्थान तथा देश में खुशहाली विस्तार के लिए आगे आने का आव्हान किया।

समारोह में कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने राज्यपाल तथा दीक्षांत अतिथि डॉ. जे.एस. संधु को स्मृति चिन्ह भेंट किया। समारोह से पूर्व राज्यपाल बागड़े ने कृषि विश्वविद्यालय पहुंचकर विश्व विद्यालय की 8 विभिन्न ईकाइयों के भवनों का लोकार्पण किया। समारोह में शैक्षिणक शोभायात्रा के मंच पर आगमन के उपरान्त राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन तथा शुभारंभ की घोषणा कर दीक्षान्त समारोह की शुरूआत की। दीक्षांत समारोह में विधायक बिलाड़ा अर्जुनलाल गर्ग भी उपस्थित थे।

चिकित्सकों की लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप

निगम में जमादार गोपाल को हार्ट के दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था

परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के बांगड़ हॉस्पिटल में चिकित्सकों की लापरवाही से मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मरीजों की संदिग्ध मौत और हंगामे के बीच हॉस्पिटल की गिरती साख को बचाने के लिए अब पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है।

- शनिवार को इलाज के दौरान अस्पताल में मरीज की मौत हो गई, परिजन ने नहीं लिया शव
- एक करोड़ मुआवजा और दोषी चिकित्सक व अन्य स्टाफ पर कार्यवाही की मांग
- मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज ने झाड़ू डाउन हड़ताल का आव्हान किया

जानकारी के अनुसार नगर निगम में जमादार गोपाल (52) पिता बालू राम गारू निवासी तेजाजी चौक को गत दिनों हार्ट के दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। शनिवार को इलाज के दौरान गोपाल की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक करोड़ मुआवजा और दोषी चिकित्सक डॉ. अनुराग सिंह व अन्य स्टाफ पर कार्यवाही की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने झाड़ू डाउन हड़ताल का आव्हान किया है। समाजजनों का कहना है कि जब तक मांगें नहीं मानी जाती है, शहर में सफाई व्यवस्था ठप्प रहेगी और शव उठाया नहीं जाएगा।

भीलवाड़ा नगर निगम की हंगामे के बावजूद बोर्ड बैठक सम्पन्न

भीलवाड़ा, (निसं)। नगर निगम महापौर राकेश पाठक और आयुक्त हेमाराम चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोपों लगने और सड़क से लेकर सदन तक हंगामे के बावजूद निगम बोर्ड बैठक टाउन हॉल में सम्पन्न हुई, जिसमें 411 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। यह महापौर राकेश पाठक के कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

- हंगामे के बीच 411 करोड़ रुपये का बजट पेश

बैठक से पहले कांग्रेस नेता मनोज पालीवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ।

बैठक से पहले, कांग्रेस नेता मनोज पालीवाल के नेतृत्व में नगर निगम गेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें महापौर राकेश पाठक और आयुक्त हेमाराम चौधरी की साझेदारी वाली जोड़ी से इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बैठक से पहले ही सड़क पर हंगामा किया। बैठक के दौरान, महापौर और आयुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहा। कांग्रेस नेताओं ने महापौर और आयुक्त पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिससे बैठक में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हुई। हंगामे के बीच सदन में 22 एजेंडा प्वाइंटों पर सहमति बनी।

5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं के बच्चों की बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5वीं के एग्जाम 7 अप्रैल से शुरू होंगे, जबकि 8वीं बोर्ड के एग्जाम 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं।

शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय के पंजीयक नरेंद्र सोनी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन यानी पांचवीं बोर्ड परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी। टाइम टेबल के अनुसार पहले दिन 7 अप्रैल को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इसके बाद 8 अप्रैल को हिंदी, 9 अप्रैल को पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी। इसके बाद 5 दिन की छुट्टियां रहेंगी। 10 अप्रैल को महावीर जयंती, 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जयंती, 12 अप्रैल को अंतराल, 13 अप्रैल को रविवार, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का अवकाश रहेगा। 15 अप्रैल को गणित की परीक्षा होगी। वहीं 16 अप्रैल को तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, सिंधी) का एग्जाम होगा। आठवीं बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। टाइम टेबल के अनुसार 20 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। इसके बाद 22को हिन्दी, 24 को विज्ञान, 26 को सामाजिक विज्ञान, 29 को गणित की परीक्षा होगी। 30 को रविवार और 31 मार्च को ईद की छुट्टी रहेगी। 1 अप्रैल को तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी) की परीक्षा होगी।

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय संचार मंत्री से मुलाकात की

नई दिल्ली। राजसमंद संसदीय क्षेत्र की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर क्षेत्र में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राजसमंद क्षेत्र में डाकघर और मोबाइल नेटवर्क से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्रालय से मदद की अपील की। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि राजसमंद क्षेत्र में सूचना और संचार के क्षेत्र में तेजी से विकास की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर सेवायें मिल सकें और वे डिजिटल युग में कदम रख सकें। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की अपील की।

- सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर क्षेत्र में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कई विषयों पर चर्चा की

सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने बताया कि राजसमंद क्षेत्र में डाकघर का नया मंडल कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे संचार सेवाओं का विस्तार हो सके और नागरिकों को तेज़ एवं सुलभ डाक सेवाएँ मिल सकें। डेगाना विधानसभा क्षेत्र की सान्जू शाखा को उप डाकघर में क्रमोन्नत करने की मांग की गई, ताकि वहां के निवासियों को बेहतर डाक सेवा प्राप्त हो सके। यह कदम क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। सांसद ने डेगाना विधानसभा की ग्राम पंचायतों बरना, भारती, सुरियास और पुनास में मोबाइल टॉवर लगाने की अपील की। जेतारण विधानसभा की कुर्क, लांबिया, निंबोल और राबारियावास ग्राम पंचायतों में नवीन डाकघरों का निर्माण करने की आवश्यकता जताई गई।

महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि राजसमंद क्षेत्र में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो, ताकि यहाँ के लोग भी अन्य शहरी क्षेत्रों की तरह सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह कदम न केवल डिजिटल समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आश्वस्त किया कि इन योजनाओं पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। इस मुलाकात के बाद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया कि वे अपने प्रतिनिधित्व से हर संभव प्रयास करेंगी, ताकि राजसमंद में संचार सेवाओं का विस्तार हो सके और सभी नागरिकों को आधुनिक तकनीकी सुविधाएँ मिल सकें।

हाईकोर्ट : समकक्ष योग्यता पर नर्सिंग-ऑफिसर नियुक्ति के आदेश

जोधपुर, (कासं)। चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 6981 पदों के लिए 5 मई 2023 को जारी विज्ञप्ति में आवश्यक योग्यता सीनियर सैकंडरी और समकक्ष, नर्सिंग डिप्लोमा तथा नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन रखने के बावजूद कुछ अभ्यर्थियों को प्री यूनिवर्सिटी कोर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित किए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए 2 अभ्यर्थियों को अंतरिम नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

- राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अभ्यर्थियों को अंतरिम नियुक्ति देने के आदेश दिए

पाली के राजेंद्र नगर निवासी गोपाल कृष्ण और रानी के जवाली निवासी जसाराम की ओर से एडवोकेट यशपाल खिलेरी ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2023 मे नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में आवश्यक योग्यता सीनियर सैकंडरी और समकक्ष, नर्सिंग डिप्लोमा और नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होने की निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने उदयपुर की जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्या पीठ से वर्ष 2005 में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स (पीयूसी) उत्तीर्ण कर लिया था, जिसे सीनियर सैकंडरी परीक्षा के समान समकक्षता की मान्यता है।

अपीलार्थियों को इसी योग्यता के आधार पर पहले 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा में प्रवेश और इसी के आधार पर नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन कर वर्ष 2014 में जीएनएम पद पर संविदा नौकरी दी गई। वर्तमान में याचिकाकर्ता जसाराम जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्यरत हैं। इसी बीच, नियमित भर्ती-2023 में उसकी पीयूसी योग्यता को 12वीं कक्षा के समकक्ष नहीं मानते हुए नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। इस पर रिट याचिकाएं पेश की गईं, लेकिन हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायाधीश ने 2024 में दिए गए फैसले के आधार पर याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

तब, हाइकोर्ट की खंडपीठ में स्पेशल अपील पेश की गई। इनकी सुनवाई के दौरान एडवोकेट खिलेरी ने कोर्ट को बताया कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स (पीयूसी) योग्यता को सीनियर सैकंडरी के समकक्ष मानकर राज्य सरकार ने परिवादी को राजकीय नर्सिंग स्कूल से डिप्लोमा कोर्स कर राजकीय अस्पताल में संविदा नियुक्ति दी गई। ऐसे में अब नियमित भर्ती के समय उसे अयोग्य करार देना गैर वाजिब है।

खिलेरी ने कोर्ट को यह भी बताया कि समकक्षता देने का क्षेत्राधिकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को है, जिसकी अनुभवी विषय विशेषज्ञ की कमेटी ने याचिकाकर्ता की पीयूसी योग्यता को सीनियर सैकंडरी परीक्षा के समकक्ष निर्धारित कर आदेश भी जारी कर दिया। ऐसे में एकलपीठ द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बनाम भारत संघ में पारित पूर्व निर्णय 8 जनवरी 2024 याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में लागू ही नहीं होता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर से पीयूसी परीक्षा सत्र 2004-2005 को यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दूरस्थ शिक्षा काउंसिल और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता दे रखी थी। अपीलार्थियों की ओर से एडवोकेट ख़िलेरी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में अपात्र घोषित करना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जब विज्ञापित पद पर अस्थायी आधार पर गत कई वर्षों से अपीलार्थी कार्यरत हैं और नियमित भर्ती प्रक्रिया में मेरिटोरियस होने से नियुक्ति दिलाने की गुहार लगाई गई। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और अपीलार्थियों के वकील के तर्कों से प्रथमदृष्टया सहमत होकर हाइकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने पीयूसी योग्यता के आधार पर अपीलार्थियों को अयोग्य नहीं ठहराने और अपील के अंतिम निर्णयाधीन नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति दिए जाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

मेड़ता पालिका की बैठक में विकास सहित कई मुद्दों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगे

मेड़ता सिटी, (निसं) मेड़ता नगर पालिका में 2025-26 के बजट को लेकर बैठक का मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष गोतम टाक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक हंगामे के साथ 92 करोड़ 8 लाख 52 हजार का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं बैठक में विकास सहित कई विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

- मेड़ता नगरपालिका में 92 करोड़ 8 लाख 52 हजार का बजट सर्वसम्मति से पास हुआ

बैठक में पालिका अध्यक्ष गोतम टाक ने शहर में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं प्रतिपक्ष नेता पवन परतानी ने विकास को लेकर कई आरोप लगाए, पट्टे वितरण मामले को लेकर भी सवाल उठाए।

मेड़ता विधायक लक्ष्मणराम कलरू ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेड़ता विकास कार्य को लेकर हमेशा तट पर रही। भाजपा पार्षदों ने भी सर्वसम्मति बजट पास होने के बाद बैठक का बहिष्कार किया। इसको लेकर प्रतिपक्ष नेता पवन परतानी ने कहा मेड़ता विकास को लेकर जो सरकार द्वारा बजट मेड़ता को दिया गया इसको लेकर बजट सर्व सम्मति से पास किया गया पर बैठक में बोर्ड द्वारा विकास कार्य को लेकर इतने साल सत्ता का दुरुपयोग किया है, वहीं कई फर्जी पट्टे जारी किए हुए उसका भाजपा पार्षद बहिष्कार करते है और उन कार्य की जांच विचारणीय है। पालिका अध्यक्ष गोतम टाक ने कहा कि कांग्रेस बोर्ड ने मेड़ता की जनता के लिए कई विकास कार्य करवाए हैं, पर वर्तमान सरकार व भाजपा पार्षदों द्वारा मेड़ता विकास के लिए कई बार कार्य किए जाते हे उसको लेकर बखेड़ा कर दिया जाता हे। वर्तमान बोर्ड मेड़ता विकास के लिए हमेशा अठाणीय हे और रहेगा। इस मौके पर अधिशाषी अधिकारी प्रकाश डूडी , सलीम मॉयल , रामसुख मुंशी , मोहित माली , सुनील पंवार , जाकिर खान , विजय राज सांखला , राजू भाई माली , महेंद्र भाकर , दिलीप माली , श्वेता सोनी , लीला बोराना, अमजद खान, अनिल चौधरी , नंदकिशोर जोशी सहित कई प्राधिकारी व पार्षद मौजूद थे।

माफिया ने परमिट की आड़ में वन विभाग की जमीन खोद डाली

बीकानेर, (निसं)। पाक बॉर्डर पर खाजूवाला के चक 40 केजेडी में जिप्सम के अवैध खनन का मामला अभी थमा ही नहीं था कि माफिया ने 14 पीकेडी माधोडिग्गी में वन विभाग की जमीन खोद डाली। देर रात को ग्रामीणों की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और एक खेत में छिपाकर रखी जेसीबी को जब्त कर लिया।

जानकारी के अनुसार पिछले दिनों माफिया ने 40 केजेडी में 2300 टन जिप्सम खोद डाला। प्रशासन ने उस पर 46.29 लाख रुपए जुर्माना तय किया। अब चक 14 पीकेडी में दोहरे आवंटन की वन विभाग की जमीन पर जेसीबी चली है। माफिया ने परमिट की आड़ में वन विभाग की जमीन खोद डाली। रात को जिप्सम का अवैध खनन और गाड़ियां भरने का पता चलने पर ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इसकी भनक लगने पर माफिया अपनी गाड़ियां लेकर मौके से भाग निकले। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो जिप्सम के अवैध के गड्ढे और गाड़ियों के निशान मिले। आसपास खोजबीन की गई तो दोपहर के समय चक 2 एमडीएम में छिपाकर रखी जेसीबी मशीन बरामद हो गई। वन विभाग ने जेसीबी जब्त कर ली है और अवैध खनन करने वालों की तलाश की जा रही है।

इत्तला मिलने पर खाजूवाला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। चक 14 पीकेडी माधोडिग्गी में जिस जेसीबी से जिप्सम खोदा गया वह पूर्व में भी इसी जगह अवैध खनन करते पकड़ी गई है। वन विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में जिप्सम का अवैध खनन करते जेसीबी जब्त की थी। जेसीबी एक माह तक वन विभाग के कब्जे में रही और उसके बाद 2.80 लाख रुपए का जुर्माना लेकर छोड़ी गई। उसी जेसीबी से रात को 14 पीकेडी में जिप्सम का अवैध खनन किया गया। वन विभाग ने छिपाकर रखी जेसीबी कब्जे में ले ली है। जेसीबी मालिक घड़साना निवासी जसवीर मान है।

वन विभाग की बेरियांवाली रेंजर विजयलक्ष्मी मील का कहना है कि चक 14 पीकेडी माधोडिग्गी में वन विभाग की दोहरे आवंटन की जमीन के पास ही अन्नी देवी के नाम से खान विभाग की ओर से परमिट जारी किया गया है। इस परमिट की आड़ में वन विभाग की जमीन से जिप्सम का अवैध खनन किया जाता है। पूर्व में जिप्सम का अवैध खनन किया गया है। खान विभाग को परमिट निरस्त करने के लिए पत्र लिखा गया है। इसके अलावा वन विभाग के कितने एरिया में अब तक कुल कितने जिप्सम का अवैध खनन किया जा चुका है। इसका असेसमेंट करवाया जाएगा। माधोडिग्गी पर दोहरे आवंटन की जमीन पर सरपंच श्योपत का कब्जा है। जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

न्यायाधिपति गर्ग ने भीलवाड़ा का दौरा किया

भीलवाड़ा, (निसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने बाल संरक्षण एवं महिला सुरक्षा के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए भीलवाड़ा का दौरा किया।

राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में बाल संरक्षण एवं महिला सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने की उद्देश्य से नियमित रूप से दौरे किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में शनिवार को भीलवाड़ा जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह, सुरक्षित गृह, शिशु गृह, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित सोना दिव्यांग पुनर्वास शोध संस्थान द्वारा संचालित सोना मंदबुद्धि विद्यालय का निरीक्षण किया एवं दिए आवश्यक दिशा निर्देश।

राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

- न्यायाधिपति गर्ग ने सोना मंदबुद्धि विद्यालय का निरीक्षण किया एवं निर्देश दिये
- प्रदेश में बाल संरक्षण एवं महिला सुरक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा

निरीक्षण के समय नगेन्द्र सिंह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशाल भार्गव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवांगिनी औदिच्य प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, सदस्य नरेश पारीक, उर्मिला सिरोठा, धर्मराज प्रतिहार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, गौरव सारस्वत अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, नूतन शर्मा उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कमलकुमार जैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चन्द्रकला ओझा, सदस्य विनोद राव, प्रेमचंद जैन अध्यक्ष सोना दिव्यांग पुनर्वास एवं शोध संस्थान, मनवीर सिंह मीणा प्रधानाचार्य डॉ राजेश छापरवाल शिशु रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।